



भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र
BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
आभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड (नापुबोर्ड)



खोले जाने की तिथि : 15.12.2020

विज्ञापन सं. 01/2020(नापुबोर्ड)

बंद किए जाने की तिथि : 31.01.2021

“सरकार इस प्रकार के कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिससे लैंगिक संतुलन बना रहे और इसलिए महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है”

नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड (ना.पु.बोर्ड), कल्पाङ्गम एवं एनआरबी, तारापुर में वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थी श्रेणी-I/II के प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों से भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थी श्रेणी-I (गुप-बी), पदों की कुल संख्या : 50 (अजा-03, अजजा-8, अपिजा-14, आकअ (इंडब्लयुएस) अनारक्षित-23)

पद क्रं	विषय	पदों की संख्या						शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएँ
		अजा	अजजा	अपिजा	आकअ (इंडब्लयुएस)	अनारक्षित	कुल	
1.1	यांत्रिक (मैकेनिकल)	01	02	03	01	06	13	यांत्रिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल इंजिनियरिंग) में डिप्लोमा*
1.2	विद्युत (इलेक्ट्रिकल)	00	01	02	00	03	06	विद्युत अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग) में डिप्लोमा*
1.3	रासायनिक (केमिकल)	00	01	02	00	04	07	रासायन अभियांत्रिकी (केमिकल इंजिनियरिंग) में डिप्लोमा*
1.4	सिविल	02	02	03	01	05	13	सिविल अभियांत्रिकी (सिविल इंजिनियरिंग) में डिप्लोमा*
1.5	इलेक्ट्रॉनिक	00	00	01	00	02	03	इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार अभियांत्रिकी (कम्युनिकेशन) में डिप्लोमा*
1.6	यंत्र (इंस्ट्रुमेंटेशन)	00	01	02	00	01	04	इलेक्ट्रॉनिक तथा यंत्र (इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रुमेंटेशन)/ यंत्र अभियांत्रिकी(इंस्ट्रुमेंटेशन इंजिनियरिंग)/ यंत्र प्रौद्योगिकी(इंस्ट्रुमेंटेशन टेक्नोलॉजी)/ यंत्र तथा नियंत्रण अभियांत्रिकी (इंस्ट्रुमेंटेशन और कंट्रोल इंजिनियरिंग) में डिप्लोमा*
1.7	रासायनिकी (रासायन विज्ञान)	00	01	01	00	02	04	स्नातक (विज्ञान) में न्यूनतम 60% अंक (रासायन विज्ञान मुख्य विषय के रूप में तथा भौतिक विज्ञान एवं गणित अन्य विषयों के रूप में।)

*एसएससी के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त या एचएससी के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त। डिप्लोमा में कुल न्यूनतम 60% अंक होना चाहिए।

वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थी श्रेणी-II (गुप-सी) पदों की कुल संख्या : 106 (अजा-01,अजजा-08,अपिजा-29, आकअ(इंडब्लयुएस)-07 & अनारक्षित-61)

पद क्रं	ट्रेड	पदों की संख्या						शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएँ
		अजा	अजजा	अपिजा	आकअ (इंडब्लयुएस)	अनारक्षित	कुल	
2.1	संयंत्र प्रचालक	00	03	02	03	07	15	न्यूनतम 60% औसत अंकों सहित एच.एस.सी. विज्ञान संकाय में (जिसमें भौतिकी, रासायन एवं गणित हो)।
2.2	ए/सी मैकेनिक	00	00	01	00	00	01	पद क्रं 2.2 से 2.11 तक
2.3	फिटर	00	04	12	04	25	45	न्यूनतम 60% औसत अंकों सहित एस.एस.सी.(विज्ञान और गणित दोनों विषय सहित) और ए/सी मैकेनिक /फिटर/ वेल्डर/ टर्नर/ इलेक्ट्रीशियन/ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक/ यंत्रकर्मी(मशीनिस्ट)/ यंत्र मिस्त्री (इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक) / झालक (वेल्डर) (जीएमएडब्ल्यू तथा जीटीएडब्ल्यू) / मिस्त्री डीजल (मैकेनिक डीजल)/ यंत्रकर्मी चक्की (मशीनिस्ट ग्राइंडर) में व्यवसायी प्रमाण पत्र।
2.4	वेल्डर	00	00	02	00	03	05	उम्मीदवारों को संबंधित व्यवसायी प्रमाण पत्र हेतु निम्न आवश्यकताओं में से किसी एक को पूरा करना होगा :-
2.5	इलेक्ट्रीशियन	00	01	02	00	03	06	1)दो वर्ष अवधि का एनसी.टी. (आईटीआई पास आऊट)।
2.6	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	00	00	04	00	07	11	अथवा
2.7	यंत्रकर्मी(मशीनिस्ट)	00	00	01	00	02	03	2) प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत दो वर्ष अवधि का एनसी.ए.।
2.8	यंत्र मिस्त्री (इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक)	00	00	05	00	08	13	अथवा
2.9	झालक (वेल्डर) (जीएमएडब्ल्यू तथा जीटीएडब्ल्यू)	00	00	00	00	01	01	3) एक वर्ष अवधि का एनसी.टी. (आईटीआई पास आऊट) के पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात एक वर्ष का संबंधित अनुभव।
2.10	मिस्त्री डीजल (मैकेनिक डीजल)	00	00	00	00	03	03	अथवा
2.11	यंत्रकर्मी चक्की (मशीनिस्ट ग्राइंडर)	00	00	00	00	02	02	4) एक वर्ष अवधि का एनसी.टी. (आईटीआई पास आऊट) + कम से कम एक वर्ष अवधि का एनसी.ए. जो प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आता है।
2.12	प्रयोगशाला सहायक	01	00	00	00	00	01	न्यूनतम 60% औसत अंकों सहित एच.एस.सी. विज्ञान संकाय में (जिसमें भौतिकी, रासायन एवं गणित हो)।
								अथवा
								न्यूनतम 60% औसत अंकों सहित एस एस सी विज्ञान संकाय में (जिसमें विज्ञान गणित) साथ ही प्रयोगशाला सहायक में ट्रेड प्रमाणपत्र
								उम्मीदवारों को संबंधित व्यवसायी प्रमाण पत्र हेतु निम्न आवश्यकताओं में से किसी एक को पूरा करना होगा :-
								1) दो वर्ष अवधि का एन सी.टी. (आईटीआई पास आऊट)।
								अथवा
								2) प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत दो वर्ष अवधि का एनसी.ए.।
								अथवा
								3) एक वर्ष अवधि का एनसी.टी. (आईटीआई पास आऊट) के पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात एक वर्ष का संबंधित अनुभव।
								अथवा
								4) एक वर्ष अवधि का एनसी.टी. (आईटीआई पास आऊट) + कम से कम एक वर्ष अवधि का एनसी.ए. जो प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आता है।

शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएँ, केंद्र अथवा राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / तकनीकी शिक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 31.01.2021

आयु सीमा: (दिनांक 31.01.2021 को)

आयु	श्रेणी-I	श्रेणी-II
न्यूनतम	18	18
अधिकतम	24	22

टिप्पणी : स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र अथवा समतुल्य प्रमाणपत्र में इंगित जन्म तारीख ही मानी जाएगी। जन्म तारीख में किसी भी परिवर्तन के लिए किया गया अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सरकारी नियम के अनुसार उक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा निम्नानुसार शिथिलकारक है :

- अधिकतम 5 वर्षों तक यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा वर्ग से है और अधिकतम 3 वर्षों तक यदि अभ्यर्थी अपिव वर्ग से है।
- 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों / परिवार के सदस्यों को भारत में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट स्वीकार्य है।
- विधवा, तलाक़शुदा महिलाएँ और महिलाएँ जो न्यायिक तरीके से अपने पति से अलग हो चुकी हैं और जिन्होंने फिर से शादी नहीं की हो वे सरकार के आदेश के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए पात्र हैं। - केवल श्रेणी-II के लिए (क्रमांक 2.1 से 2.12 तक बताए गए पद)।
- अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाती/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित (यूआर) और ईडब्ल्यूएस के पदों के आवेदन के लिए आयुसीमा में कोई छूट लागू नहीं है।

शारीरिक मानदंड : न्यूनतम कद 160 सें.मी., न्यूनतम वजन 45.5 किलोग्राम

(यदि अभ्यर्थी चिकित्सीय रूप से सशक्त पाया गया तो उपर्युक्त शर्तों में छूट दी जा सकती है।)

प्रशिक्षण अवधि की कुल कालावधि : दो वर्ष।

प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका :

वृत्तिका (प्रतिमाह)	श्रेणी-I	श्रेणी-II
1 ^{थम} वर्ष	₹16000/-	₹10500/-
2 ^{तीय} वर्ष	₹18000/-	₹12500/-

चयन विधि

श्रेणी-I : एक घंटे की अवधि की लिखित परीक्षा ली जाएगी तथा इसमें 40 वस्तुनिष्ठ (बहु-विकल्पीय) प्रश्न होंगे। कथित परीक्षा का पाठ्य विवरण यथास्थिति डिप्लोमा/ स्नातक (विज्ञान) के स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु लघु-सूचीबद्ध किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिए जाएँगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काटा जाएगा।

साक्षात्कार में अभ्यर्थी के निष्पादन के आधार पर अंतिम चयन तथा श्रेणीक्रम किया जाएगा तथा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में नापुबोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

श्रेणी-II : चयन प्रक्रिया में त्रि-चरणीय परीक्षाएँ होंगी – चरण 1, चरण 2 तथा चरण 3.

चरण 1 - प्रारंभिक परीक्षा : अभ्यर्थियों को लघु-सूचीबद्ध के लिए छानबीन परीक्षा ली जाएगी। छानबीन परीक्षा का आरूप (फॉरमेट) सभी व्यवसायों के लिए समान होगी तथा निम्नलिखित आरूप (फॉरमेट) में होगा।

1. परीक्षा में एक घंटे की अवधि के लिए 50 बहु-विकल्पीय (4 उत्तरों का विकल्प) प्रश्न निम्नलिखित अनुपात में होंगे :

- गणित - 20 प्रश्न
- विज्ञान - 20 प्रश्न
- सामान्य बोध - 10 प्रश्न

2. प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिए जाएँगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काटा जाएगा।

सामान्य वर्ग में <40% वाले तथा आरक्षित वर्ग में <30% वाले सभी अभ्यर्थियों को छँटनी की जाएगी।

चरण 2- प्रगत परीक्षा : चरण-1 में छाँट कर लिए गए सभी अभ्यर्थियों को अपने-अपने संबंधित व्यवसाय में चरण-2 (प्रगत परीक्षा) में भाग लेने दिया जाएगा।

- परीक्षा में दो घंटे की अवधि के लिए 50 बहु-विकल्पीय प्रश्न (4 उत्तरों का विकल्प) होंगे।
- प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिए जाएँगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काटा जाएगा।
- चरण-2 के बाद अभ्यर्थियों की योग्यता-क्रमसूची तैयार की जाएगी तथा यह केवल चरण-2 के प्राप्तांकों पर ही आधारित होगी।

सामान्य वर्ग में <30% वाले तथा आरक्षित वर्ग में <20% वाले सभी अभ्यर्थियों को छँटनी की जाएगी।

चरण 3 - कौशल परीक्षा : चरण-2 के बाद तैयार योग्यता-क्रमसूची के आधार पर, चरण-3 के लिए अभ्यर्थियों को लघु-सूचीबद्ध किया जाएगा। कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को लघु-सूचीबद्ध तथा नामिकायन किया जाएगा, जो चरण 2 के प्राप्तांक पर आधारित योग्यता के क्रम में होगा।

- कौशल परीक्षा के लिए लघु-सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की संख्या चरण 2 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी, लेकिन प्रत्येक व्यवसाय में रिक्तियों की संख्या के 4-5 गुने से अधिक नहीं होगा।
- कौशल परीक्षा गति-गतिरुद्ध (गो-नो गो) पर आधारित होगी।

प्रशिक्षण का क्षेत्र : ना.पु.बोर्ड, कल्पाकूम और तारापुर के आवश्यकतानुसार प्रासंगिक ट्रेडों के विभिन्न पहलुओं में चयनित अभ्यर्थियों को प्रत्येक ट्रेड के निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार एनआरबी, कल्पाकूम एवं एनआरबी, तारापुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा

अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए विशेष स्थान/ प्रोग्राम का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा।

सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर नियुक्ति : सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रशिक्षणार्थियों को उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान एवं प्रशिक्षण के अंत में हुए साक्षात्कार में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर नियुक्ति के समय निम्नलिखित ग्रेडों में से किसी एक में आमेदन हेतु विचार किया जाएगा

वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थी	पद	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	प्रवेश वेतन
श्रेणी-I	वैज्ञानिक सहायक/सी	स्तर (लेवल) 7	₹ 44900
श्रेणी-II	तकनीशियन/वी	स्तर (लेवल) 3	₹ 21700
	तकनीशियन/सी	स्तर (लेवल) 4	₹ 25500

प्रवेश वेतन के अतिरिक्त, वर्ग Z शहर हेतु केंद्र सरकार के नियमों के अधीन स्वीकार्य भत्ते।

अतिरिक्त सुविधाएँ:

नियमों के अंतर्गत अनुमेय सामान्य वेतन एवं भत्तों के अलावा, परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी निम्नलिखित के भी हकदार होंगे :

- ✓ उत्साहजनक कार्य का वातावरण।
- ✓ पऊवि की योग्यता पदोन्नति योजना के अंतर्गत शामिल उच्च ग्रेडों में पदोन्नति।
- ✓ स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखरेख।
- ✓ आकर्षक कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन।
- ✓ आकर्षक व्यावसायिक उन्नयन भत्ता।
- ✓ स्वयं के लिए तथा अपने परिवार के लिए छुट्टी यात्रा रियायत।
- ✓ भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, अनुशिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति/ विभागीय आवास।

चयनित अभ्यर्थी, उनकी नियुक्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से शासित होंगे।

बौंड: चयनित अभ्यर्थियों को बौंड भरना होगा कि वे प्रशिक्षण पूरा करेंगे और यदि उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने पर आमेलन का प्रस्ताव दिया जाता है तो वे ना.पु.बोर्ड, कल्पाकूम एवं तारापुर या परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी संघटक इकाई में नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष तक कार्य करेंगे। जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पूरा करने अथवा नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष तक सरकारी सेवा करने में असफल रहेंगे, उन्हें प्रशिक्षण के दौरान दी गई वृत्तिका की राशि ब्याज सहित सरकार को वापस करनी होगी।

कार्यभार (झूटी) की प्रकृति: चयनित अभ्यर्थियों को नापुबोर्ड, भापअकेंद्र, तारापुर/ कलपाकूम तथा इसकी संघटक इकाइयों में पदस्थ किए जाने की संभावना है।

श्रेणी-I		
पद क्रमांक	विषय	कार्यभार (झूटी) की प्रकृति
1.1	यांत्रिक (मैकेनिकल)	संयंत्र उपयोगिता प्रणाली, सामग्री हस्तन उपस्कर की प्रणालियों तथा अनुरक्षण का प्रचालन, संविरचन तथा अनुरक्षण।
1.2	विद्युत (इलेक्ट्रिकल)	उपकेंद्र/ उच्च विभव (एचटी)/ निम्न विभव (एलटी) उपस्कर का प्रचालन तथा अनुरक्षण।
1.3	रासायनिक (केमिकल)	प्रक्रम संयंत्र का प्रचालन।
1.4	सिविल	सिविल निर्माण कार्य।
1.5	इलेक्ट्रॉनिक	इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का अनुरक्षण।
1.6	यंत्र (इंस्ट्रुमेंटेशन)	प्रक्रम यंत्रों का अनुरक्षण।
1.7	रासायनिकी (रासायन विज्ञान)	प्रयोगशाला उपस्कर तथा रासायनिक वैश्लेषिक कार्य का प्रचालन।
श्रेणी-II		
पद क्र	ट्रेड	कार्यभार (झूटी) की प्रकृति
2.1	संयंत्र प्रचालक	रेडियो-रासायनिक संयंत्र तथा प्रचालन की प्रक्रिया में सहायता।
2.2	ए/सी मैकेनिक	वातानुकूलन तंत्र का प्रचालन तथा अनुरक्षण।
2.3	फिटर	प्रचालन, संविरचन और प्रणाली का रखरखाव के लिए।
2.4	वैल्डर	गैस कटिंग तथा वेल्डिंग का कार्य।
2.5	इलेक्ट्रीशियन	विद्युत तथा अन्य सहायक उपकरणों का सब स्टेशन और अन्य प्रतिष्ठानों में निर्माण संचालन तथा, अनुरक्षण।
2.6	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों / दूरसंचार तंत्रों का प्रचालन, संविरचन एवं रखरखाव।
2.7	यंत्रकर्मी (मशीनिस्ट)	मिलिंग, ड्रिलिंग, खराद और आकार देने की मशीन का संचालन।
2.8	यंत्र मिस्त्री (इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक)	मापयंत्र प्रणाली का रखरखाव और प्रचालन तथा प्रक्रिया उपकरणों का रखरखाव।
2.9	झालक (वैल्डर) (जीएमएडब्ल्यू तथा जीटीएडब्ल्यू)	गैस कर्चन (कटिंग) तथा झालन संकर्म।
2.10	मिस्त्री डीजल (मैकेनिक डीजल)	संयंत्र में डीजल इंजन, डीजी सैट, आदि का क्षतिसुधार (मरम्मत) तथा अनुरक्षण।
2.11	यंत्रकर्मी चक्की (मशीनिस्ट ग्राइंडर)	केंद्र रहित चक्की (ग्राइंडर) में केंद्र रहित पिसाई तथा अन्य धात्विक वस्तुओं की पिसाई। पिसाई यंत्रों का प्रचालन तथा अनुरक्षण।
2.12	प्रयोगशाला सहायक	रासायनिक विश्लेषणात्मक कार्यों में सहायता।
टिप्पणी:- कार्य करने का समय पाली (शिफ्ट) / रात-दिन (राउंड द क्लोक) में करना होगा।		

ना.पु.बोर्ड, कल्याण में निम्नलिखित पदों के लिए अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की कुल संख्या: 04 (अनारक्षित-03 तथा पीडब्लयुडी-01)-ग्रुप (सी)

पद क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या							शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएँ
		अजा	अजजा	अपिव	आकअ (इंडब्लयुएस)	पीडब्लयुडी	अनारक्षित	कुल	
डी आर/ 01	तकनीशियन/सी (बॉयलर प्रचालक)	00	00	00	00	00	03	03	एसएससी + किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी बोर्ड द्वारा प्रथम श्रेणी का बॉयलर अटेंडेंट का प्रमाणपत्र।
डी आर/ 02	तकनीशियन/बी (पेंटर)	00	00	00	00	01 [**एच एच पीडी]	00	01	न्यूनतम 60% औसत अंको सहित एस एस सी विज्ञान संकाय में (जिसमें विज्ञान गणित) साथ ही पेंटर में ट्रेड प्रमाणपत्र उम्मीदवारों को संबंधित व्यवसायी प्रमाण पत्र हेतु निम्न आवश्यकताओं में से किसी एक को पूरा करना होगा :- 1) दो वर्ष अवधि का एनसी.टी. (आईटीआई पास आऊट)। अथवा 2) प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत दो वर्ष अवधि का एनसी.ए.। अथवा 3) एक वर्ष अवधि का एनसी.टी. (आईटीआई पास आऊट) के पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात एक वर्ष का संबंधित अनुभव। अथवा 4) एक वर्ष अवधि का एनसी.टी. (आईटीआई पास आऊट) + कम से कम एक वर्ष अवधि का एनसी.ए. जो प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आता है।
कुल संख्या		00	00	00	00	01	03	04	

टिप्पणी :

** डी आर/ 2 के लिए प्रत्येक पद शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है - *कान से न सुनने वाले व्यक्ति (एचएच) [आंशिक रूप से बहरे(पीडी)]

'श्रवण क्षति' अर्थात स्वस्थ कान में संभाषण क्रमबद्धता की आवृत्तियों में 60 डेसीबल अथवा अधिक की क्षति होनी चाहिए।

सामान्य शर्तें:

1. आयु सीमा:

i) डी आर/01 एवं डी आर/ 02 के लिए: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष (दिनांक 31.01.2021 को)

टिप्पणी : स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र अथवा समतुल्य प्रमाणपत्र में इंगित जन्म तारीख ही मानी जाएगी। जन्म तारीख में किसी भी परिवर्तन के लिए किया गया अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सरकारी नियम के अनुसार उक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा निम्ननुसार शिथिलकारक है :

- क) एक ही पंक्ति में सेवा के लिए ऊपरी आयु सीमा (केन्द्र सरकार असैनिक कर्मचारियों) 3साल की निरंतर सेवा या संबद्ध काडर के साथ विभागीय उम्मीदवारों : सामान्य उम्मीदवारों के लिए वर्ष तक 40, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए वर्ष और 43अज/अजजा के उम्मीदवारों के लिए 45
- ख) पद क्रमांक डी आर/ 02 के लिए लागू : शारीरिक रूप से अशक्त अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए दस वर्ष तक की छूट। शारीरिक रूप से अशक्त अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए पंद्रह वर्ष तक की छूट और शारीरिक रूप से अशक्त अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए तेरह वर्ष की छूट।
- ग) विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और महिलाएं जो न्यायिक तरीके से अपने पति से अलग हो चुकी हैं और जिन्होंने फिर से शादी नहीं की हो वे सरकार के आदेश के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए पात्र हैं।—सीधी भर्ती (पद क्र. डी आर/01 एवं डी आर/02).
- घ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट सरकार के आदेश के अनुसार होगी।
- च) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों / परिवार के सदस्यों को भारत में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट स्वीकार्य है।

चयन विधि :

सीधी भर्ती/01 तथा सीधी भर्ती/02 के लिए चयन क्रियाविधि वृत्तिकायाही प्रशिक्षणार्थी (श्रेणी-2) के पदों के समान ही होगी। (जैसा पृष्ठ सं.2 तथा 3 में बताया गया है।)

परिलब्धियां :

पद	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	प्रवेश वेतन
तकनीशियनसी/	लेवल 4	₹ 25500
तकनीशियन/बी	लेवल 3	₹ 21700

प्रवेश वेतन के अतिरिक्त, वर्ग Z शहर हेतु केंद्र सरकार के नियमों के अधीन स्वीकार्य भत्ते।

कर्तव्यों की प्रकृति:

पद सं.	पद का नाम	कार्य का स्वरूप
डी आर/ 01	तकनीशियन/सी (बॉयलर प्रचालक)	बॉयलरों का प्रचालन।
डी आर/ 02	तकनीशियन/बी (पेंटर)	पेंटिंग।

आवेदन करने की प्रक्रिया :

- केवल ऑनलाइन आवेदन को स्वीकार किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक 15.12.2020 से 31.01.2021 तक खुली रहेगी।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए <https://recruit.barc.gov.in> वेबसाइट पर देखें। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे हमारी वेबसाइट के होमपेज पर "कैसे आवेदन करें" विकल्प को चुनकर सभी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।
- एक पद के लिए केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी एकाधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक से आवेदन तथा शुल्क जमा करना होगा।

अभ्यर्थियों को यह हिदायत दी जाती है कि वे आवेदन पहले से ही भर दें और अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें। (31.01.2021)

आवेदन शुल्क: आवेदक को आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

श्रेणी-1 के पद के लिए - ₹150/-

अजा/ अजजा, विकलांग तथा महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट है।

श्रेणी-II/सीधी भर्ती के पद के लिए - ₹ 100/-

अजा/ अजजा, विकलांग, महिला और भूतपूर्व सैनिकों (केवल सीधी भर्ती के लिए) वर्ग के अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट है।

- ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद निर्मित आवेदन संख्या का प्रयोग करते हुए आवेदक को आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। तथापि, शुल्क का भुगतान 'नहीं' करने पर आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा तथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
- शुल्क के भुगतान हेतु 'My Account' मेन्यू के अंतर्गत 'Make Payment' पर अभ्यर्थी को क्लिक करना होगा। आवेदन प्रस्तुतीकरण के समय निर्मित नंबर को **Drop-down box** से चुना जा सकता है और 'submit' बटन पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन भुगतान हेतु अगले पृष्ठ पर जाया जा सकता है।
- "How to Apply→Payment of fees" मेन्यू के अंतर्गत आवेदन शुल्क भुगतान हेतु विस्तार से डिजिटल मार्गदर्शन दिया गया है।
- एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित नहीं रखा जाएगा।

ऑनलाइन आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख पर अथवा इससे पूर्व आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया जाए।

सामान्य अनुदेश :

a.	ऊपर दर्शाई गई रिक्तियाँ अस्थायी एवं परिवर्तनशील हैं। विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की भर्ती सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार की जाएगी और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार उन्हें भरा नहीं भी जा सकता है।
b.	प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को केवल तभी नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा जब मुख्य सूची का अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करता।
c.	प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन पैल ल तैयार करने की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी।
d.	अभ्यर्थियों को हिन्दी या अंग्रेजी में लिखित परीक्षा /ट्रेड टेस्ट/साक्षात्कार में प्रश्नों के उत्तर देने का विकल्प दिया जाएगा।
e.	विज्ञापन में विहित किए गए अनुसार, अनुभव की अवधि सहित पात्रता के मानदंड का निर्धारण आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि (दिनांक 31.01.2021) के संदर्भ में किया जाएगा। (जैसा लागू हो।)
f.	लिखित परीक्षा हेतु बुलाए गए बाह्य स्थानीय अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जातिनीय अभ्यर्थियों को नियमानुसार सबसे छोटे मार्ग का द्वितीय अनुसूचित जनजाति के बाह्य स्था/ भत्ता के रूप में दिया जाएगा-यात्रा (टिकट प्रस्तुत करने पर) जाने का रेल किराया-श्रेणी का आने। तथापि, लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए यात्रा करने हेतु जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थीगण / पहले से ही केंद्रराज्य सरकार सेवा/, केंद्रराज्य सरकार निगम/, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय सरकारी संस्थान, पंचायत में कार्यरत हैं और रेलवे से यात्रा संबंधी रियायत ले चुके हैं वे इस यात्रा भत्ता के पात्र नहीं होंगे।- https://recruit.barc.gov.in जाँव अप्लिकेशन डाउनलोड / टीए क्लेम फार्म के विकल्प से टीए फार्म डाउनलोड करें। / फार्मस टीए प्रतिपूर्ति स्व अभिप्रमाणित अनुसूचित जाति जनजाति / जाति प्रमाण पत्र और टिकट प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाएगा।
g.	उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सही जानकारी भरें। गलत सूचना देने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। नापुबो/भापअकेंद्र किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
h.	अभ्यर्थियों को अपना वैध ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नंबर होना चाहिए। इन्हें भर्ती की प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाए।
i.	नापुबोई, भापअ केंद्र बिना सूचित किए अथवा बिना कोई कारण बताए पद भरने / रद्द करने/ प्रतिबंध करने/ संशोधन करने / पूरी भर्ती प्रक्रिया परिवर्तित करने का पूरा

	अधिकार सुरक्षित रखता है। नापुत्रो/भापअकेंद्र किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
j.	इस मामले पर किसी भी बाद के संशोधन / संशोधन आदि को केवल भापअकेंद्र वेबसाइट में अधिसूचित किया जाएगा। recruit.barc.gov.in , जो उम्मीदवारों द्वारा नियमित रूप से संदर्भित किया जा सकता है।
k.	अभ्यर्थियों की तैनाती सक्षम प्राधिकारी के विवेक और रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार तैनाती होगी और वे भारत के किसी भी भाग में तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करने के लिए बाध्य होंगे।
l.	जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के अंतिम तारीख (31.01.2021) पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की हो या नहीं करेंगे, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे और आवेदन न करें।
m.	यदि अतिरिक्त उच्चतर अर्हता वाले अभ्यर्थी इन पदों पर चयन हेतु आते हैं, उन्हें भी भर्ती हेतु विचारार्थ अवसर दिया जाएगा।
n.	यदि विश्वविद्यालय ग्रेड सीजीपीए/ ओजीपीए / एसजीपीए प्रदान करता है, तो उस विश्वविद्यालय के अपनाए मानदंडों के अनुसार उन ग्रेडों को प्रतिशत अंकों के समान सूचित किया जाए। ऐसा न करने पर, अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।
o.	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, केंद्र / राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के तहत काम करने वाले उम्मीदवारों को उचित चैनल के माध्यम से रूट किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी प्रशासनिक अधिकारी-तृतीय, नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड (नापुबोर्ड), एनआरवी कॉम्प्लेक्स, अनुषक्तिनगर, मुंबई 400 094 में जमा करनी चाहिए।, भापअ केंद्र, अनुषक्तिनगर, मुंबई 400 094. उन्हें लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के समय "अनापत्ति प्रमाण पत्र" भी प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें वे लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होने देंगे।
p.	अजा/ अजजा/ अपिजा/ आर्थिक रूप से कमजोर अमुभाग वाले वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन में इसे स्पष्ट रूप से इंगित करें। (चाहे वे अनारक्षित रिक्ति हेतु आवेदन कर रहे हों) और लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (यथा लागू) के समय निर्धारित प्रारूप में इसका साक्ष्य प्रस्तुत करें, ऐसा न होने पर उन्हें अनारक्षित माना जाएगा और बाद में जाति की स्थिति के परिवर्तन हेतु किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
q.	अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे हमारी वेबसाइट www.barc.gov.in ; https://recruit.barc.gov.in को लगातार देखते रहें ताकि उन्हें इस विज्ञापन से संबंधित जानकारी मिलती रहे।
r.	जांच परीक्षा/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश पत्र (वेबसाइट से डाउनलोड किए गए) का प्रिंट आउट के साथ पहचान साक्ष्य के लिए (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/वोटर कार्ड की) मूल प्रति भी लाएं और विज्ञापन में दर्शाए अनुसार सभी संबंधित दस्तावेजों की स्वसाक्ष्यांकित प्रतियां भी लाएं।
s.	आवेदकों को आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं सत्यापन के लिए प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के आधार पर ही परीक्षा में उपस्थित होने दिया जाएगा। अतः उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले पात्रता के सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है तो ऐसे आवेदक कि अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करना नियुक्ति हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। नियुक्ति, सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही होगा।
t.	अशक्ततावाले व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्क समय, भारत सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार दिया जाएगा। जिन भूतपूर्व रक्षाकर्मियों ने अपने पुनः नियोजन हेतु भूतपूर्व रक्षाकर्मियों को दिए जानेवाले आरक्षण के लाभों का उपयोग करने के बाद नियमित आधार पर ग्रुप सी पदों में केंद्र सरकार के अधीन सिविल क्षेत्र में पहले ही रोजगार ले लिया है वे भूतपूर्व रक्षाकर्मियों की श्रेणी के तहत आरक्षण लाभों का दावा करने के पात्र नहीं हैं।
u.	सभी लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/ ट्रेड परीक्षा का संचालन मुंबई में किया जाएगा।

छानबीन परीक्षा/ लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ

1.	शैक्षणिक योग्यता, अनुभव (यथा लागू) एवं तकनीकी योग्यता इनके समर्थन में परीक्षा में लिए गए विषयों का उल्लेख करते हुए उपयुक्त अंक सूचियों को प्रस्तुत करें।
2.	जन्म तारीख/आयु का प्रमाण।
3.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए और उस जाति/समुदाय से संबंधित राज्य के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया हो) (यथा लागू)* अनुलग्नक 1 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार.
4.	अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र, नवोन्नत वर्ग प्रमाणपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए और उस की तारीखसमुदाय को अन्य पिछड़ी जाति की केंद्रीय सूचियों में शामिल किया गया हो। अन्य पिछड़ी जाति नवोन्नत वर्ग प्रमाणपत्र निर्धारित करने / ऑन लाइन आवेदन की अंतिम तारीख (31/01/2021) होगी। अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी * अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रपत्र में नवोन्नत वर्ग स्थिति को स्वयं घोषित करें तथा सलंगित करें। आयु में छूट एवं आरक्षण के प्रयोजन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब "अन्य पिछड़ा वर्ग के वो व्यक्ति जो नवोन्नत वर्ग से संबंधित नहीं है," जिसकी परिभाषा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था).एससीटी (में उल्लेखित है और दिनांक 09.03.2004 तथा 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था).आरईएस (द्वारा संशोधित है एवं नवीनतम संशोधन दिनांक 27.05.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360331/1/2013-स्था. (आरईएस) द्वारा संशोधित है। (* अनुलग्नक 3 प्रपत्र के अनुसार)

5.	<p>उम्मीदवारों को शारीरिक विकलांगता के बारे में उचित प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए)*अनुलग्नक 4 प्रपत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार)</p> <p>1. विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के अनुसार उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अभ्यास में केंद्र सरकार द्वारा 31/12/1996 को अधिसूचित किया गया। विकलांग व्यक्तियों के 73 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1)], एक विकलांगता प्रमाण पत्र केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। केंद्र / राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों से युक्त एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें से, कम से कम, एक सदस्य संबंधित क्षेत्र से एक विशेषज्ञ होगा।</p> <p>2. प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा जिनकी विकलांगता अस्थायी है। मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि को इंगित करेगा जहां विकलांगता की डिग्री में भिन्नता की संभावना है। स्थायी विकलांगता प्राप्त करने वालों के लिए, वैधता को स्थायी के रूप में दिखाया जा सकता है। आवेदक द्वारा प्रतिनिधित्व करने पर, मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझता है।</p> <p>3. जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हैं, वे विकलांग उम्मीदवारों के बिना अपनी योग्यता के आधार पर अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाएंगे, अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ विचार किया जाएगा, बशर्ते कि पद संबंधित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाना जाता है (जैसा कि लागू होता है)।</p>
6.	अगर कोई व्यक्ति के दंगो से प्रभावित हुआ हो 1984, तो वे इसके प्रति योग्य प्रमाण प्रस्तुत करके आयु सीमा में छूट पा सकते हैं। (यथा लागू)
7.	<p>ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के तहत शामिल नहीं / अनुसूचित जनजाति / आरक्षण अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति (रूप से कमजोर वर्ग आर्थिक) हैं और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है को लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में (रुपये आठ लाख) ें पहचाना जाना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का आय में आवेदन के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। ऐसे परिवार जिनके परिवार के पास निम्नलिखित संपत्ति में से कोई भी संपत्ति है या उनके पास है, को ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से रोक दिया जाएगा, भले ही वह परिवार की आय के बावजूद हो:</p> <p>ii) 5 एकड़ कृषि भूमि और ऊपर;</p> <p>iii) 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;</p> <p>iiii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;</p> <p>iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।</p> <p>अलगद्वारा आयोजित संपत्ति को डब्ल्यूडब्ल्यूएस का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होलिंग टेस्ट "परिवार" शहरों में / अलग स्थानों-अलग स्थानों या अलग-लगाऊ करते समय क्लब किया जाएगा।</p> <p>इस प्रयोजन के लिए शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो "परिवार" 18 वर्ष से कम उम्र के आरक्षण का लाभ, अपने माताबहनों को भी अपने जीवनसाथी-पिता और भाई-और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल करेगा।</p> <p>ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के उत्पादन पर लिया जा सकता है। अनुबंध 5* में दिए गए अनुसार निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:</p> <p>क) जिला मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / विभागीय मजिस्ट्रेट-उप / प्रथम श्रेणी के प्रतिपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त उपायुक्त / उपायुक्त / कलेक्टर / अपर जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / कार्यकारी मजिस्ट्रेट</p> <p>ख (मुख्य (प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /</p> <p>ग) तहसीलदार के पद से नीचे का राजस्व अधिकारी नहीं</p> <p>घ) उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और / या उनका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।</p> <p>ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए क्योंकि आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि है। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। इन शर्तों के अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे का मनोरंजन नहीं किया जाएगा और पूरा होने पर ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रिक्तियों (यूआर) को केवल जनरल श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों (यूआर) आवेदन सामान्य / के तहत माना जाएगा।</p> <p>इस विज्ञापन हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक ही ईडब्ल्यूएस स्थिति पर विचार किया जाएगा, यदि वे पात्र हैं। इसके बाद अभ्यर्थी के समुदाय / ईडब्ल्यूएस स्थिति में कोई भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।</p>
8.	'पूर्व सैनिक' वर्ग के तहत छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संलग्नक 7* में दिए गए निर्धारित आरूप (फॉर्मेट) में घोषणा प्रस्तुत करना होगा।
9.	अन्य संबंधित प्रमाणपत्र (यथा लागू)

**<https://recruit.barc.gov.in> पर डाउनलोड फॉर्म " विकल्प में "जॉब अप्लिकेशन मेनु में " अनुलग्नक 1 से 5 उपलब्ध है।

चेतावनी:

1. जो आवेदन विज्ञापन में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगे उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। केवल विज्ञापन में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने मात्र से ही कोई अभ्यर्थी चयन के योग्य नहीं हो जाएगा। जो अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए नहीं चुने जाएंगे उनके साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
2. लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर लघुसूचीकृत किया जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दी गई सूचनाएं सही हैं। यदि किसी स्तर पर अथवा साक्षात्कार के समय यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना अथवा उनके द्वारा किए गए दावे गलत हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है, उनके अभिलेखों को चयन सूची के प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह तक की अवधि से अधिक नहीं रखा जाएगा।

किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा

पूछताछ के लिए संपर्क करें : 022-25597855/25597915/25597983

**UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE CANDIDATE COVERED UNDER POINT-07 OF RESERVATIONS AND
RELAXATIONS OF THE NOTICE**

I understand that, if selected on the basis of recruitment/examination to which the application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the Appointing Authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-Employment in Central Civil Services and Posts rules, 1979, as amended from time to time).

I also understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Ex-S in regard to the recruitment covered by this examination, if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the civil side (including Public Sector Undertaking, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) by availing of the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-S.

I further submit the following information:

- a) Date of appointment in Armed Forces _____
- b) Date of discharge _____
- c) Length of service in Armed Forces _____
- d) My last Unit/Corps _____

Place:

Date:

(Signature of the Candidate)

CHECK LIST FOR THE CANDIDATES

(to be attached to the application and submitted at the time of Written examination/ Document verification)

Put X in the boxes applicable

Self attested copy of each of the following certificate/mark sheet is attached

- a. Printout of online application :
- b. Printout of admit card :
- c. Date of Birth / Proof of age :
- d. Caste Certificate (SC/ST/OBC-*if applicable*) :
- e. Educational & professional qualifications (Mark list/Board/Diploma/Degree Certificates) :
- f. Experience certificate, *if any* :
- g. No Objection Certificate(*if applicable*) :
- h. Disability Certificate (*if applicable*) :
- i. EWS Certificate (*if applicable*) :
- j. Any other relevant certificate (*if applicable*) :
- k. Check list attached :

Signature of the candidate

Date:



**GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
NUCLEAR RECYCLE BOARD**



Opening date: 15.12.2020

ADVERTISEMENT NO. 01/2020(NRB)

Closing date: 31.01.2021

“ GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORKFORCE WHICH REFLECTS GENDER BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO APPLY.”

ONLINE APPLICATIONS ARE INVITED FOR STIPENDIARY TRAINEES CATEGORY— I & II FOR TRAINING IN NRB, Tarapur and Kalpakkam.

Stipendiary Trainee Category-I (Group B) Total No. of posts : **50** (SC-03, ST-08, OBC-14, EWS-02 & UR-23)

Post No.	Discipline	No. of Posts						Educational /Technical Qualification
		SC	ST	OBC	EWS	UR	Total	
1.1	Mechanical	01	02	03	01	06	13	Diploma* in Mechanical Engineering
1.2	Electrical	00	01	02	00	03	06	Diploma* in Electrical Engineering
1.3	Chemical	00	01	02	00	04	07	Diploma* in Chemical Engineering
1.4	Civil	02	02	03	01	05	13	Diploma* in Civil Engineering
1.5	Electronics	00	00	01	00	02	03	Diploma* in Electronics / Electronics & Communication Engineering
1.6	Instrumentation	00	01	02	00	01	04	Diploma* in Electronics & Instrumentation / Instrumentation Engineering/Instrumentation Technology/Instrumentation & Control Engineering
1.7	Chemistry	00	01	01	00	02	04	Minimum 60% marks in B.Sc. (Chemistry as principal and Physics and Mathematics as subsidiary subjects)

**Acquired Diploma 3 years after SSC or 2 years after HSC. with minimum of 60% marks in aggregate in Diploma.*

Stipendiary Trainee Category-II (Group C) Total No. of posts : **106** (SC-01,ST-08, OBC-29, EWS-07 & UR-61)

Post No.	Trade	No. of Posts						Educational /Technical Qualification
		SC	ST	OBC	EWS	UR	Total	
2.1	Plant Operator	00	03	02	03	07	15	HSc in Science stream (with Physics, Chemistry and Maths subjects) with a minimum 60% marks in aggregate.
2.2	A/C Mechanic	00	00	01	00	00	01	<p align="center">For Posts 2.2 to 2.11</p> <p>SSC (with Science and Maths) with a minimum 60% marks in aggregate PLUS trade certificate in A/C Mechanic/ Fitter/ Welder/ Electrician/ Electronic Mechanic/ Machinist/Instrument Mechanic/ Welder (GMAW&GTAW)/Mechanic Diesel/Machinist Grinder. The candidates should meet any of the following requirements as regards Trade Certificate:</p> <ol style="list-style-type: none"> NTC (ITI pass out) of two year duration. OR NAC of Two years duration under Apprenticeship Training Scheme OR NTC (ITI pass out) of one year duration plus one year work experience after the completion of course. OR NTC (ITI pass out) of one-year duration plus NAC of minimum one year duration under Apprenticeship Training Scheme.
2.3	Fitter	00	04	12	04	25	45	
2.4	Welder	00	00	02	00	03	05	
2.5	Electrician	00	01	02	00	03	06	
2.6	Electronic Mechanic	00	00	04	00	07	11	
2.7	Machinist	00	00	01	00	02	03	
2.8	Instrument Mechanic	00	00	05	00	08	13	
2.9	Welder (GMAW & GTAW)	00	00	00	00	01	01	
2.10	Mechanic Diesel	00	00	00	00	03	03	
2.11	Machinist Grinder	00	00	00	00	02	02	
2.12	Laboratory Assistant	01	00	00	00	00	01	HSC in Science stream (with Physics, Chemistry and Maths subjects) with a minimum 60% marks in aggregate OR SSC (with Science and Maths) with a minimum 60 % marks in aggregate PLUS trade certificate in Laboratory Assistant. The candidates should meet any of the following requirements as regards Trade Certificate: <ol style="list-style-type: none"> NTC (ITI pass out) of two years duration. OR NAC of two years duration under Apprenticeship Training Scheme. OR NTC (ITI pass out) of one year duration plus one year work experience after the completion of course. OR NTC (ITI pass out) of one year duration plus NAC of minimum one year duration under Apprenticeship Training Scheme.

Educational/Technical Qualification should be from a recognized University/Board of Technical Education of Central or State Government.

Last date for submission of online Application: 31.01.2021

Age Limit : (as on 31.01.2021)

Age	Category-I	Category-II
Minimum	18	18
Maximum	24	22

Note: Only SSC/Matriculation/HSC Certificate or Birth Certificate issued by Appropriate Government Authority will be accepted as proof of Date of Birth. NO SUBSEQUENT REQUEST FOR CHANGE IN DOB SHALL BE ENTERTAINED.

Upper age limit prescribed above is relaxable as under :

- Upto a maximum of five years for SC/ST candidates & three years for OBC candidates.
- Relaxation in the Upper age limit of 5 years shall be admissible to children/family members of those who died in the 1984 Riots.
- Widows, divorced women and women judicially separated from their husbands and who are not re-married are eligible for relaxation in the upper age limit as per Government orders-for Category-II only (posts indicated at Sr No.2.1 to 2.12)
- Age relaxation is not applicable for SC/ST/OBC candidates applying against Un-reserved(UR) posts or EWS posts.

Physical Standards : Minimum Height : 160 cms. Minimum weight : 45.5 Kg
(Relaxable if the candidate is otherwise medically fit)

Total Duration of Training Period : Two years

Stipend during Training :

Stipend (pm)	Category-I	Category-II
1 st year	₹16000/-	₹10500/-
2 nd year	₹18000/-	₹12500/-

Selection Method

Category-I: Written Examination of one hour duration will be conducted and will comprise of 40 objective (multiple) type questions. The syllabus for the said examination will be based on subjects at Diploma/B.Sc. level as the case may be. Those candidates qualifying in the written examination shall be short-listed for interview. The date of interview will be notified later. '3' marks for each correct answer and '1' mark will be deducted for each incorrect answer.

*Final selection and ranking will be on the basis of performance of the candidate in interview and **no weightage** will be given for marks scored in the written examination. The decision of NRB in this regard is final.*

Category-II: The selection process will consist of tests in 3 stages – **Stage 1, Stage 2 & Stage 3.**

Stage1 - Preliminary Test: Screening examinations to be held to shortlist candidates. The format of the screening examinations will be common for all trades and will be in the following format.

- Examination will consist of 50 multi choice questions(choice of 4 answers) of one hour duration in the following proportion:
 - Mathematics – 20 questions
 - Science – 20 questions
 - General awareness – 10 questions
- '3' marks for each correct answer and '1' mark will be deducted for each incorrect answer.

All candidates with <40% in General category and <30% in reserved category will be screened out.

Stage 2- Advanced Test: All candidates Screened in Stage 1 will be allowed to undertake Stage 2 (Advance Test) in their respective trade.

- The Test will comprise 50 multi choice questions (choice of 4 answers) of two hour duration.
- '3' marks for each correct answer and '1' mark will be deducted for each incorrect answer.
- Merit List of candidates will be prepared after Stage-2 based upon the scores obtained in Stage-2 only.

All candidates with <30% in General category and <20% in reserved category will be screened out.

Stage 3- Skills Test : Based upon the Merit List prepared after Stage-2, candidates will be shortlisted for Stage 3 (Skill Test). Candidates clearing the skill test will be shortlisted and empanelled in order of Merit based on the marks secured in Stage 2.

- The number of candidates shortlisted for Skill Test will depend upon the number of candidates qualifying for Stage 2 but will not exceed 4 - 5 times the number of vacancies in each trade.
- The Skill Test will be based on Go/No-Go basis.

SCOPE OF TRAINING: Selected candidates will be given training at Tarapur/Kalpakkam in various aspects of relevant disciplines/trades, as per prescribed syllabi of each discipline/trade and for meeting stringent requirements of NRB, BARC. The candidates will not have any choice/option for any particular training programme/training place.

GRADE AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRAINING: Upon successful completion of training, trainees will be considered for absorption in the following grade at the time of appointment depending on their performance during the period of training and interview to be held at the end of the training.

<i>Stipendiary Trainees</i>	<i>Post</i>	<i>Level in the Pay Matrix</i>	<i>Entry Pay</i>
Category-I	SCIENTIFIC ASSISTANT/C	Level 7	₹ 44900
Category-II	TECHNICIAN/B	Level 3	₹ 21700
	TECHNICIAN/C	Level 4	₹ 25500

In addition to entry pay, allowances will be admissible under Central Government Rules.

PREVAILING ADDITIONAL BENEFITS:

In addition to the normal Pay and Allowances as admissible under rules, the employees of the Department of Atomic Energy are entitled for:

- ✓ Exciting working environment
- ✓ Promotions to higher grades which are covered under the Merit Promotion Scheme of DAE.
- ✓ Healthcare for self and family members.
- ✓ Attractive performance related incentives.
- ✓ Attractive professional update allowance.
- ✓ Leave Travel Concession for self and family.
- ✓ Reimbursement of Tuition fee / Departmental Accommodation as per Government of India Orders.

Selected candidates , on their appointment, will be governed by the National Pension System (NPS)

BOND: Selected candidates will have to execute a bond to complete the training and serve NRB, BARC or any of the constituent Units of DAE, if offered appointment after the training, for a period of 3 years after absorption. A trainee who fails to complete the training or serve the Government for 3 years, if offered appointment, will be liable to pay to the Government a sum equivalent to aggregate amount of stipend received by him/her during the period of training along with interest thereon.

NATURE OF DUTIES : *The selected candidates are likely to be posted at NRB, BARC, Tarapur/Kalpakkam and its Constituent Units.*

<u>CATEGORY-I</u>		
Post No.	Discipline	Nature of duties
1.1	Mechanical	Operation, Fabrication and Maintenance of systems and Maintenance of Plant Utility system, material Handling equipment.
1.2	Electrical	Operation and Maintenance of Sub-station/HT/LT equipment.
1.3	Chemical	Operation of process plant.
1.4	Civil	Civil Construction work.
1.5	Electronics	Maintenance of Electronics instruments.
1.6	Instrumentation	Maintenance of Process instruments.
1.7	Chemistry	Operation of Laboratory equipment and Chemical Analytical work.

CATEGORY-II

Post No.	Trade	Nature of duties
2.1	Plant Operator	Assistance in process of Radiochemical Plants and Operation
2.2	A/C Mechanic	Operation and Maintenance of Air Conditioning System.
2.3	Fitter	Operation, Fabrication and Maintenance of Mechanical Utility Systems.
2.4	Welder	Gas Cutting and Welding Works.
2.5	Electrician	Erection, Operation and Maintenance of Electrical Equipments and Auxiliaries in Sub-station and other Installations.
2.6	Electronic Mechanic	Fabrication, Maintenance and Operation of Electronic Equipments / Telecommunication Systems.
2.7	Machinist	Operation of Milling, Drilling, Lathe and Shaping Machine.
2.8	Instrument Mechanic	Operation and Maintenance of Instrumentation System
2.9	Welder (GMAW & GTAW)	Gas Cutting and Welding Works.
2.10	Mechanic Diesel	Repairs and maintenance of Diesel Engines, D G sets etc. in the Plant
2.11	Machinist Grinder	Centreless Grinding of ceramic objects on centreless grinder and grinding of other metallic objects. Operation and Maintenance of grinding machines.
2.12	Laboratory Assistant	Assistance in Chemical Analytical works.
NOTE:- DUTIES WILL INVOLVE WORKING IN ROUND-THE-CLOCK /GENERAL SHIFT		

ONLINE APPLICATIONS ARE ALSO INVITED FOR THE FOLLOWING POSTS IN NRB, KALPAKKAM THROUGH DIRECT RECRUITMENT: Total No. of Posts: 04 (UR-03 and PWD-01)-Group C posts.

Post No.	Name of the Post	No. of posts							Educational / Technical Qualification
		SC	ST	OBC	EWS	PWD	UR	Total	
DR/01	Technician/C (Boiler Operator)	00	00	00	00	00	03	03	SSC + I Class Boiler Attendant's Certificate granted by Government Board of any State or Union Territory.
DR/02	Technician/B (Painter)	00	00	00	00	01 [**HH (PD)]	00	01	SSC (with Science and Maths) with a minimum 60 % marks in aggregate PLUS trade certificate in Painter. The candidates should meet any of the following requirements as regards Trade Certificate: 1) NTC (ITI pass out) of two years duration. OR 2) NAC of two years duration under Apprenticeship Training Scheme OR 3) NTC (ITI pass out) of one year duration plus one year work experience after the completion of course. OR 4) NTC (ITI pass out) of one year duration plus NAC of minimum one year duration under Apprenticeship Training Scheme.
TOTAL		00	00	00	00	01	03	04	

Note:

**** For DR/02 post is identified for Persons with disability-Hearing Handicapped (HH) [Partially Deaf (PD)]**

'Hearing Impairment' means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies

CRITERIA:

1. AGE LIMIT:

i) For DR/01 & DR/02: Minimum 18 years and Maximum 25 Years as on 31.01.2021

NOTE: ONLY DATE OF BIRTH (DOB) INDICATED IN BIRTH CERTIFICATE, SCHOOL LEAVING CERTIFICATE OR EQUIVALENT CERTIFICATE WILL BE ACCEPTED. NO SUBSEQUENT REQUEST FOR CHANGE IN DOB SHALL BE ENTERTAINED.

Upper age limit prescribed above is relaxable as per the Government Rules in vogue :

- a) For departmental candidates (Central Government Civilian employees) with 3 years continuous service in the same line or allied cadre, upper age limit will be upto 40 years for General candidates, 43 years for OBC candidates and 45 years for SC/ST candidates.
- b) For Post DR/02 – Upto Ten years for Physically Challenged UR candidates, Fifteen years for Physically Challenged SC/ST candidates and Thirteen years for Physically Challenged OBC candidates.
- c) Widows, divorced women and women judicially separated from their husbands and who are not re-married are eligible for relaxation in the upper age limit as per Government orders-Direct Recruitment (post indicated at Sr. No. DR/01 and DR/02).
- d) Relaxation for Ex-Servicemen will be as per Govt. orders.
- e) Relaxation in the upper age limit of 5 years shall be admissible to children/family members of those who died in the 1984 riots in India.

SELECTION METHOD:

For DR/01 & DR/02 selection procedure will be same as for the posts of STIPENDIARY TRAINEES (CATEGORY-II).
(as indicated at page No 2&3)

EMOLUMENTS :

Post	Level in the Pay Matrix	Entry Pay
Technician / C	Level 4	₹ 25500
Technician/B	Level 3	₹ 21700

In addition to entry pay, allowances will be admissible under Central Government Rule applicable for class 'Z' city.

NATURE OF DUTIES:

Post No.	Name of the post	Nature of Duties
DR/01	Technician / C (Boiler Operator)	Operation of boilers.
DR/02	Technician / B (Painter)	Painting.

HOW TO APPLY:

5. Applications will be accepted Online ONLY.
6. The facility of online application will be open from 15.12.2020 to 31.01.2021.
7. For online submission of application, please visit the website <recruit.barc.gov.in >. Candidates are advised to read instructions given on home page of our website by clicking the option “How to apply”.
8. Only one application is acceptable for one post. If a candidate wishes to apply for more than one post, application and fees should be submitted separately for each post.

Candidates are advised to submit the ONLINE application well in advance without waiting for the Closing date(31.01.2021)

APPLICATION FEE: Mode of payment of the Application Fee is through Online.

For the posts of Category-I - ₹150/-

Fee is exempted for candidates belonging to SC/ST, PWD and Women category.

For the posts of Category-II and Direct Recruitment - ₹ 100/-

Fee is exempted for candidates belonging to SC/ST, PWD, Ex-Serviceman (for DR posts) and Women category.

- The Application number generated after the submission of the application is required to make the online payment of the application fee and hence submission of application is mandatory before the online payment of application fees. However, fee NOT paid will be treated as incomplete application and hence will be **rejected**.
- For payment of fee, candidates should click on the 'Make Payment' option under the 'My Account' menu. The Application number generated while submission of application can be selected from the Drop-down box and on clicking the 'submit' button candidates can go to the next pages for making the online payment.
- Detailed guidelines for payment of application fee is available under the menu "How to Apply→Payment of fees".
- Fee once paid shall not be refunded under any circumstances and cannot be held in reserve for any other recruitment.

Application fee should be paid on or before the last date of receipt of online applications.

GENERAL CONDITIONS:

a.	The vacancies are provisional and subject to variation. The filling up of vacancies indicated in the advertisement is also subject to the approval of Competent Authority and may not be filled up if decided otherwise in terms of the orders issued by Government from time to time.
b.	Candidates empanelled under WAIT LIST will be offered appointment ONLY in case candidate in the MAIN LIST does not join.
c.	The validity of operation of WAIT LIST will be one year from the date of preparation of the Select Panel.
d.	The candidates will be given choice to answer the questions in written exam/trade test/interview in Hindi or English (as applicable).
e.	The eligibility criteria including the period of experience as prescribed in the advertisement will be determined with reference to the last date (31.01.2021) of receipt of applications (as applicable).
f.	SC/ST outstation candidates called for written examination will be paid to and fro travelling allowance of second-class Railway fare by the shortest route (subject to production of tickets) as per rules. However, Travelling Allowance is not admissible to those SC/ST candidates who are already in Central/State Government services, Central/State Government Corporation, Public Sector Undertakings, Local Government Institutions and Panchayats and the concession availed from Railways, if any, for undertaking journey for attending written examination. Download TA forms from recruit.barc.gov.in /Job Application/ Download Forms/TA claim form. TA reimbursement will be subject to the production of self attested copy of SC/ST Caste certificate and tickets/e-ticket. For this purpose, candidates are requested to download and provide the information in Annexure-6 (downloaded from the website recruit.barc.gov.in by following the link <Job Application→ Download Forms>)
g.	Candidates may ensure that they fill in the correct information. Candidates who furnish false information will be disqualified for Written Examination/Skill Test/Interview. NRB, BARC further reserves the right to reject the candidature of any applicant at any stage.
h.	Candidates are required to have a valid e-mail ID and Mobile Number. It should be kept active during the currency of this recruitment.
i.	NRB reserves the right to fill up the post or even to cancel/ restrict/ modify / alter the whole process of recruitment without issuing any further notice or assigning any reason thereof. NRB also reserves the right to accept or reject the candidature of any applicant at any stage.
j.	Any subsequent Amendments/Modifications etc. on this matter will be notified only in the BARC website viz. recruit.barc.gov.in , which may be referred to by the candidates regularly.
k.	Posting of the selected candidates would be at the discretion of the Competent Authority as per the availability of vacancies. They are liable to serve in any part of India, in any constituent unit of the Department of Atomic Energy.
l.	Candidates who have not acquired/would not be acquiring the Educational qualification as on the closing date for receipt of application (31.01.2021) are not be eligible and need not apply.
m.	Candidates with additional higher qualification opt for selection to the posts, they will not be denied the opportunity for consideration for recruitment.
n.	In case Universities/Board award letter grades/CGPA/OGPA/SGPA, the same need to be indicated as equivalent percentage of marks, as per the norms adopted by that University/Board. If percentage of the marks in not indicated, the candidature will not be considered.

o.	Candidates working under the Central/State Government, Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies etc., after the submission of the Online application, should submit the hard copy of the application routed through proper channel to Administrative Officer-III, Nuclear Recycle Board, NRB Complex, BARC, Anushaktinagar, Mumbai -400 094. They are also required to submit “ NO OBJECTION CERTIFICATE ” at the time of written examination/skill test/interview, failing which they will not be allowed to appear for the written examination.
p.	Candidates belonging to SC/ST/OBC/EWS category should clearly indicate the same in the application(even when applying for UR vacancy) and should furnish proof of the same in the specified format at the time of written test/skill test/interview (as applicable) failing which they will be treated as Unreserved (UR) and subsequent representations for change of community status will not be entertained.
q.	Candidates must regularly check the website. All information relating to the recruitment shall be made available on the website. Information displayed on the website shall be deemed as intimation to the candidates.
r.	At the time of Screening Test/Written Test/Skill Test/Interview, candidate must bring a print out of the online application and admit card (to be downloaded from the website) along with the documents in support of identity proof (Aadhar Card/PAN Card/Driving License/Voter Card) in original and self attested copies of all relevant documents as mentioned in the advertisement.
s.	The applicants would be admitted to the examination on the basis of the information furnished by them in their application form and verification of the documents produced by them. In case it is found at a later stage that the information furnished by an applicant is false or an applicant does not fulfill any of the eligibility conditions, the candidature of such applicant would be cancelled and no correspondence in this regard would be entertained. Issuance of an admit card for the examination will not confer any right for appointment. Appointment will be solely subject to fulfillment of all eligibility conditions
t.	Compensatory time for persons with disabilities shall be provided as per the extant orders of Government of India. Ex-servicemen who have already secured employment in civil side under Central Government in Group C posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are NOT ELIGIBLE for claiming benefits of reservation under ex-servicemen category.
u.	<u>WRITTEN EXAMINATIONS WILL BE CONDUCTED AT MUMBAI.</u>

COPIES OF CERTIFICATES TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF SCREENING TEST /WRITTEN TEST/ SKILL TEST / INTERVIEW.

1.	Educational qualifications, experience (as applicable) and technical qualifications (supported by appropriate mark sheets* indicating the subjects offered at the examinations). (*Semester/Year wise mark sheets and consolidated mark sheet)
2.	Date of birth / Proof of age.
3.	SC/ST category (certificate should have been issued by the authorised authority in the prescribed format given at Annexure-1* .The community should have been included in the Presidential orders in relation to the concerned state).
4.	OBC candidate's caste certificate should be issued by an authorised authority in the prescribed format with non-creamy layer certificate and the caste/community should have been included in the Central lists of Other Backward Caste. The crucial date for determining the OBC non-creamy layer certificate will be the closing date of on-line application (31/01/2021). The OBC candidates should also enclose self declaration of non-creamy layer status in the format as given in Annexure- 2* . OBC for the purpose of AGE RELAXATION AND RESERVATION will mean “persons of OBC categories not belonging to the Creamy Layer” as defined in Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.93 and modified vide Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36033/3/2004-Estt.(Res) dated 09/3/2004, OM No. 36033/3/2004 –Estt.(Res.) dated 14/10/2008, OM No. 36033/1/2013-Estt (Res.) dated 27/05/2013 and latest modification vide Government of India, Department of Personnel and Training OM No. 36033/1/2013-Estt (Res.) dated 13/09/2017(As per the format given in Annexure-3*).

5.	<p>Disability Certificate from the appropriate authority regarding physical disability [as per the format given at Annexure-4* (applicable to persons with disability)].</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. According to the persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1996 notified on 31/12/1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996)], a disability certificate shall be issued by a Medical Board duly constituted by the Central or a State Government. The Central/State Government may constitute a Medical Board consisting of at least three members, out of which, at least, one member shall be a Specialist from the relevant field. 2. The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. The Medical Board shall indicate the period of validity of the certificate where there are chances of variation in the degree of disability. For those who acquired permanent disability, the validity can be shown as permanent. On representation by the applicant, the Medical Board may review its decision having regard to all the facts and circumstances of the case and pass such orders in the matter as it thinks fit. 3. Those SC/ST/OBC persons with disabilities selected on their own merit without relaxed standards along with other candidates will be considered against unreserved vacancies provided the post is identified for persons with disability of relevant category (as applicable).
6.	Proof of the effect that they have been affected by 1984 riots (if claiming age relaxation).
7.	<p>EWS (Economically Weaker Section) Reservation: Candidates who are not covered under the scheme of reservation for SC/ST/OBC and whose family gross annual income is below Rs.8 Lakh (Rupees eight lakh) are to be identified as EWS for benefit of reservation for EWS. The income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. for the financial year prior to the year of application. Also candidates whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS, irrespective of family income:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. 5 acres of agricultural land and above; ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above; iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities; iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities. <p>The property held by a "Family" in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.</p> <p>The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.</p> <p>The benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an Income and Asset Certificate issued by a Competent Authority. The Income and Asset Certificate issued by any one of the following authorities in the prescribed format as given in Annexure 5* shall only be accepted as candidate's claim as belonging to EWS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluk Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner b) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate c) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and d) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides. <p>The candidates applying against the vacancies reserved for EWS must possess Income and Asset Certificate as on closing date of registration of application. Further, these candidates are also required to produce valid Income and Asset Certificate during document verification. In case of non-compliance to these stipulations, their claim for reserved status under EWS will not be entertained and the candidature / application of such candidates, if fulfilling all the eligibility conditions for General (UR) category, will be considered under General (UR) vacancies only.</p> <p>EWS status as on the closing date for online application for the advertisement shall only be considered for availing reservation benefits, if eligible. Any change in the community/EWS status of the candidate thereafter shall not be entertained</p>
8.	The candidates claiming relaxation under the category of 'Ex-Servicemen' are required to provide information in Annexure 7* (available at page-9).
9.	Any other relevant certificates (as applicable).

*Annexures 1 to 5 can be downloaded from the website <recruit.barc.gov.in>by following the link <Job Application→ Download Forms>

WARNING:

1. Mere fulfilling of requirements as laid down in the advertisement does not qualify a candidate for a written test/interview. No correspondence will be entertained with candidates not selected.
2. Candidates will be shortlisted for Written Examination/Skill Test/Interview on the basis of the information provided by them in their online application. They must ensure that such information is true. If at any stage or at the time of interview, it is found that the information given by them or any claim made by them in their online application is false, their candidature will be liable to be rejected and also liable for any other appropriate action as deemed fit.

Record of the non-selected candidates shall not be preserved beyond 6 months from the date of formation of Select List & no correspondence from such candidates will be entertained thereafter.

CANVASSING IN ANY FORM SHALL BE A DISQUALIFICATION

For queries contact: 022-25597855/25597915/25597983

**UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE CANDIDATE COVERED UNDER POINT-07 OF RESERVATIONS AND
RELAXATIONS OF THE NOTICE**

I understand that, if selected on the basis of recruitment/examination to which the application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the Appointing Authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-Employment in Central Civil Services and Posts rules, 1979, as amended from time to time).

I also understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Ex-S in regard to the recruitment covered by this examination, if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the civil side (including Public Sector Undertaking, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) by availing of the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-S.

I further submit the following information:

- a) Date of appointment in Armed Forces _____
- b) Date of discharge _____
- c) Length of service in Armed Forces _____
- d) My last Unit/Corps _____

Place:

Date:

(Signature of the Candidate)

CHECK LIST FOR THE CANDIDATES

(to be attached to the application and submitted at the time of Written examination/ Document verification)

Put X in the boxes applicable

Self attested copy of each of the following certificate/mark sheet is attached

- a. Printout of online application :
- b. Printout of admit card :
- c. Date of Birth / Proof of age :
- d. Caste Certificate (SC/ST/OBC-*if applicable*) :
- e. Educational & professional qualifications (Mark list/Board/Diploma/Degree Certificates) :
- f. Experience certificate, *if any* :
- g. No Objection Certificate(*if applicable*) :
- h. Disability Certificate (*if applicable*) :
- i. EWS Certificate (*if applicable*) :
- j. Any other relevant certificate (*if applicable*) :
- k. Check list attached :

Signature of the candidate

Date:
